उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-220/2017/3337/92-2-2017-03जॉच/2015

लखनऊ :: दिनांक:: 21 दिसम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

भारत सरकार के डेस्टीनेशन डेवलपमेंट स्कीम के अन्तर्गत जनपद अलीगढ के पर्यटन स्थल अंचलताल में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा पूर्व निर्मित सिविल निर्माण कार्य को फिनिशिंग तथा टाई बैण्ड को संतोषजनक स्थिति में लाये बिना तथा अन्य कमियों का निराकरण कराये बिना विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने तथा निर्मित कराये गये निर्माण कार्य को संबंधित विभाग को हैण्ड ओवर न किये जाने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री रविकांत वर्मा, तत्का0 अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अलीगढ सम्प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-पीलीभीत के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-146/2017/1425/92-2-17-03जांच/15 दि0 11-08-2017 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुए जांच के सम्पादनार्थ विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- कालान्तर में जॉच अधिकारी/तत्कालीन विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन का स्थानान्तरण स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पद पर हो जाने के फलस्वरूप श्री आर0 पी0 सिंह, निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच की कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक सप्ताह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

वी0के0 सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-200/2017/3337(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- जांच अधिकारी/निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, उ0प्र0,लखनऊ को पूर्व जांच अधिकारी से प्राप्त सभी संगत मूल अभिलेख इस आशय से प्रेषित कि जांच अधिकारी के रूप में अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुये जांच आख्या एक सप्ताह के अंदर शासन में उपलब्ध करायें।

2- तत्का0 जॉच अधिकारी/ विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, शासन को उनके पत्र सं0-2290/वि0स0ग्रा0अ0वि0/कैम्प/17,दि0 04.12.2017 के क्रम में सूचनार्थ।

3- श्री रविकांत वर्मा,तत्का0 अधिशासी अभियन्ता, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-अलीगढ द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in